



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 10 मई, 2013

बैशाख 20, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-1

संख्या 1591/छ:-पु-1-13-115/2008

लखनऊ, 10 मई, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०-35

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5, सन् 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य सामर्थ्यकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (चतुर्थ संशोधन)
नियमावली, 2013

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2013 कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

नियम 10 का संशोधन

स्तम्भ-1विद्यमान नियम

10-आयु-आरक्षी के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी की दशा में अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो और महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी अधिनियम में और भर्ती के समय लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाय।

नियम 15 का संशोधन

3-उक्त नियमावली में, नियम 15 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (छ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1विद्यमान खण्ड

(छ) चयन तथा श्रेष्ठता सूची

बोर्ड राज्य की आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थियों की उनकी श्रेष्ठता क्रम में एक अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा।

यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी जिन्होंने मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त किये हैं। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी मुख्य लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करते हैं तो ज्येष्ठतर अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों का जन्म दिनांक एक समान हो

स्तम्भ-2एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

10-आयु-आरक्षी के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी की दशा में अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो और महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी अधिनियम में और भर्ती के समय लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाय :

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या : पीआरबीपी-दो-1(2)/2011, दिनांक 15 जुलाई-2011 के अनुसरण में पुलिस आरक्षी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया हो परन्तु उक्त पद पर भर्ती नहीं की जा सकी, को अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जायेगी ताकि वे उक्त पद के लिए आगामी भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पात्र हो सकें।

स्तम्भ-2एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(छ) चयन तथा श्रेष्ठता सूची

(एक) शारीरिक मानक परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के पश्चात सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से बोर्ड द्वारा एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

टिप्पणी :- यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो श्रेष्ठता सूची का निश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा :-

(एक) ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता, यदि कोई हो, रखते हों। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले

